

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 345/2014/पाली

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
घट-द्वितीय, प्रतिकरापचन-पाली।

.....विभाग.

बनाम

फारूख भाई पुत्र श्री गुल मोहम्मद,  
मेहसाना, गुजरात।

.....व्यवहारी.

कॉस आब्जेक्शन्स संख्या- 818/2014/पाली

फारूख भाई पुत्र श्री गुल मोहम्मद,  
मेहसाना, गुजरात।

.....व्यवहारी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
घट-द्वितीय, प्रतिकरापचन-पाली।

.....विभाग.

अपील संख्या – 1671/2013/पाली

फारूख भाई पुत्र श्री गुल मोहम्मद,  
मेहसाना, गुजरात।

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
घट-द्वितीय, प्रतिकरापचन-पाली।

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित:-

श्री डी.पी.ओझा-उप-राजकीय अभिभाषक  
श्री पी.एम.चोपड़ा, अभिभाषक

.....विभाग की ओर से

.....व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक :26.06.2015

1. विभाग सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, प्रतिकरापचन-पाली (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स-द्वितीय) वाणिज्यिक कर, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2013 जो अपील संख्या-20/आरवेट/पाली/2011-12 के संबंध में हैं तथा जिसमें विभाग सशक्त अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित आदेश दिनांक 02.11.2011 के जरिये आरोपित शास्ति रु. 91,500/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया गया है। इसी प्रकार, व्यवहारी द्वारा भी इस संबंध में "कॉस आब्जेक्शन्स" व अपील संख्या 6171/2013/पाली प्रस्तुत कर, पारित अपीलीय आदेश को विवादित किया गया।

2. चूंकि प्रस्तुत तीनों प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु सादृश्य हैं। अतः उक्त तीनों प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रती प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.11.2011 को वाहन संख्या आर.जे.22जी.ए.1338 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, वृत्त-पाली (जिसे आगे "जांच अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा जांच हेतु रोका



लगातार.....2

व अपील संख्या 1671/2013/पाली

गया। वाहन में परिवहनीत माल "आयरन स्केप" जो "मेहसाणा से अजमेर" के लिये परिवहनीत किया जा रहा था, के संबंध में दस्तावेज चाहने पर मैसर्स मेमन स्केप ट्रेडर्स, आबूरोड(सिरोही) द्वारा जारी इन्वॉयस क्रमांक-6 दिनांक 01.11.2011 कीमत रु.2,84,529/- प्रस्तुत किया गया जिससे क्रेता मैसर्स जे. के.एम.के.एग्रो c/o जसेस प्रा.लि. घोषित किया गया है, प्रस्तुत किया गया एवम् न तो बिल्टी व न ही घोषणा प्रपत्र वैट-47 ही प्रस्तुत किया गया। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत इन्वॉयस की जांच कर, यह पाया कि परिवहनीत माल मेहसाणा से लाया जाना पाया गया था परन्तु इन्वॉयस राजस्थान की सीमा पर स्थित शहर आबूरोड का प्रस्तुत किया गया। अतः उक्त संव्यवहार को अर्न्तज्तीय क्रम में परिवहनीत होना अवधारित किया गया। यह भी जांच कर, पाया कि माल को मेहसाणा से राजस्थान लाये जाने के संबंध में कोई बिल/इन्वॉयस प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त कृत्य को (बिना बिल/इन्वॉयस का मानते हुये) उस अधिनियम धारा 76(2) का उल्लंघन होना अवधारित कर, प्रकरण को जांच अधिकारी द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर द्वारा जारी नीति पत्र क्रमांक 97/432 दिनांक 31.03.2011 के जरिये सशक्त अधिकारी को प्राप्त हुयी। सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन होना मानकर, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत माल की कीमत रु.3,05,000/- पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रस्तावित कर, स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस की पालना में व्यवहारी फारूख भाई द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसे स्वीकार कर, सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रु.91,500/- आरोपित कर, आदेश दिनांक 02.11.2011 पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी। जिससे व्यथित होकर, विभाग द्वारा अपील संख्या 345/2014/पाली व व्यवहारी द्वारा अपील संख्या 1671/2013/पाली व कॉस आब्जेक्शन क्रमांक 818/2014/पाली प्रस्तुत किये गये हैं।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रस्तुत कॉस आब्जेक्शन के संबंध में कथन किया कि क्योंकि विभाग द्वारा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2013 के विरुद्ध कर बोर्ड के समक्ष नियत समय सीमा से अर्थात् 10 दिनों पश्चात् प्रस्तुत की गयी है। कथन किया कि विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने विभाग की ओर से अपील प्रस्तुति में हुयी देरी के संबंध में किन्हीं कारणों का उल्लेख प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में नहीं किया गया है। विशिष्ट रूप से कथन किया कि उपयुक्त (प्रशासन) पाली द्वारा जरिये पत्रांक 2000/25.02.2014 के अधिनियम की धारा 83 के तहत द्वितीय अपील

व अपील संख्या 1671/2013/पाली

कर बोर्ड में प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृत जारी की गयी है जो उनके कार्यालय में अपीलीय अधिकारी के निर्णय प्राप्त दिनांक 19.08.2013 के अनुसार 10 दिन विलम्ब से है। कथन किया कि उक्त स्वीकृति पत्र सशक्त अधिकारी को कब तामिल हुआ उक्त का उल्लेख विभाग द्वारा लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में नहीं किया गया है। कथन किया कि विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सशक्त अधिकारी द्वारा यह अंकित किया गया है कि राजकीय कार्य में व्यस्त होने के कारण अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है, इससे स्पष्ट है कि समस्त जिम्मेदारी सशक्त अधिकारी की है, अतः लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित कारण सद्भाविक नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा अधिनियम की धारा 83(3) को संदर्भित कर, इस संबंध में उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार कर, हस्तगत प्रकरण को समयावधि में प्रस्तुत नहीं होना मानकर, उक्त को ग्रहण योग्य नहीं होना मानकर, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील व कॉस आब्जेक्शन को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत कॉस आब्जेक्शन के संबंध में कथन किया कि कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुति के संबंध में हुयी देरी केवल ....दिनों की है तथा इस संबंध में लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित कारण सद्भाविक है। अतः उक्त पर विचार कर, अपील प्रस्तुति के संबंध में हुयी देरी को कण्डोन कर, गुणावगुण पर अपील का निर्णय करने की प्रार्थना कर, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत कॉस आब्जेक्शन को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

गुणावगुण पर विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, जवाब प्रस्तुत कर, नोटिस में वर्णित तथ्यों को स्वीकार कर, शास्ति भरणे की सहमति दी है, जो कि करापवंचन की श्रेणी में आता है। उक्त प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ संख्या-7 पर उपलब्ध है। यदि जांच अधिकारी द्वारा वाहन की जांच नहीं की जाती तो व्यवहारी कर अपवंचन करने में सफल हो जाता। व्यवहारी फारूख भाई द्वारा अपनी गलती स्वीकार करने के बाद अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित मांग को अपास्त करने में विधिक त्रुटि की है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। अपने उक्त कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने (1989) 5 आरटीजेएस 60 स.वा.क.अ घट चतुर्थ वृत्त बी उदयपुर बनाम मैसर्स राजा ग्लास हाउस के निर्णय को संदर्भित कर कथन किया कि उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है



व अपील संख्या 1671/2013/पाली

कि अपराध स्वीकृति के बाद कर निर्धारण प्राधिकारी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है तथा व्यवहारी द्वारा दी गयी संस्वीकृति अपराध की श्रेणी में आती है। अतः उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपील संख्या 1671/2013/पाली के संबंध में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण अर्थात् सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2011 को जांच अधिकारी द्वारा कर नीति पत्र 97/432 के क्रम में प्रकरण को सशक्त अधिकारी द्वारा बिना किसी आदेश के स्थानान्तरित की गयी है, क्योंकि उक्त आदेश की प्रति पत्रावली पर न तो मौजूद है एवम् न ही इस संबंध में व्यवहारी को ही अवगत करवाया गया है। उपायुक्त (प्रशासन) पाली के बिना किसी पूर्व/पारित आदेश के आदेश के हस्तगत प्रकरण को सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित कर, एवम् सशक्त अधिकारी द्वारा इस संबंध में आदेश पारित करना अविधिक एवम् अनुचित है। अतः उक्त आधार पर पारित शास्ति आदेश दिनांक 02.11.2011 व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2013 विधिशून्य है।

अग्रिम अभिवाक् किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में व्यवहारी की अपील स्वीकार कर, यह निर्देशित किया गया है कि रिफण्ड जारी करने से पूर्व व्यवहारी के विरुद्ध जांच कर पंजीयन की कार्यवाही करें साथ ही आबूरोड की फर्म मैसर्स मेमन स्क्रेप ट्रेडर्स जो विभाग में पंजीकृत है, के द्वारा जो बिल/इन्वॉयस जारी किया गया है उस संबंध में जांच कर, संबंधित क्रेता व्यवहारी जो कि अजमेर की फर्म है, की भी जांच करवाये जिससे प्रभावी कर वसूली सुनिश्चित हो सके। कथन किया कि उक्त दिये गये निर्देश विधिसम्मत नहीं है क्योंकि प्रतिकरापवंचन में पदस्थापित अधिकारियों का क्षेत्राधिकार अधिनियम की धारा 76(2) के तहत वक्त परिवहन माल के संबंध में वांछित दस्तोवज विधिक होने अथवा नहीं होने तक ही सीमित है, इस संबंध में कर दर अथवा व्यवहारी के पंजीकरण के संबंध में दिये गये निर्देशा पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित है। अतः उक्त बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये निर्देशों को अपास्त कर, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 345/2014/पाली अस्वीकार कर, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1671/2013/पाली स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने उक्त तर्कों के समर्थन में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों को प्रोद्धरित किया गया:--



व अपील संख्या 1671/2013/पाली

40 टैक्स अपडेट 111	15 टैक्स अपडेट 115
16 आरटीजेएस 69	06 आरटीजेएस 87
13 आरटीजेएस 14	15 आरटीजेएस 327
132 आरटीजेएस 142	12 टीबीआर 112

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। इस संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा निरंतर प्रतिपादित विधि के आलोक में, प्रारंभ में विद्वान अभिभाषक व्यवहारी द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति का निर्णय किया जाना न्यायसम्मत है। अतः अधिनियम की धारा 83(5) के प्रावधानों का अध्ययन किया गया। अधिनियम की धारा 84(5) का मूल पाठ इस प्रकार है:-

**अधिनियम की धारा 84.-** (5) The Tax Board may admit an appeal or permit the filing of memorandum of cross-objections after the expiry of the limitation provided in sub-section (2), (3) and (4), if it is satisfied that there was sufficient cause for not presenting the same within that limitation.

7. उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक में, यह पूर्णतः स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में विभाग द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में देरी जो केवल 10 दिवस है, सद्भाविक है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 83 (5) के विशिष्ट प्रावधानों के आलोक में कर बोर्ड को अपील अथवा कौंस आब्जेक्शन की प्रस्तुति में हुयी देरी को कण्डोन करने की अधिकारिता है। उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 02499/2003 सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, उदयपुर बनाम् मैसर्स संस्कृति कम्फर्ट प्रा.लि., निर्णय दिनांक 29.09.2008 में समान बिन्दु पर निम्न प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :- ".....in the scheme of the Act and in the Scheme of Chapter-IX of the Act of 1994 delaing with appeals and revisions, this Court is unable to find any indication available so as to exclude the applicability of Seciton 5 of the Limitation Act for the purpose of Section 86 of the Act,. Indications, whatever, available from Sections 84 and 85 are that the legislature has provided for the powers with the first appellate authority and the Tax Board to condone delay without specifying any limit thereupon in terms of length or cause. In the overall scheme of the enactment, the interpretation as suggested by the learned Counsel for the petitioner and the learned intervening counsel appear to be more plausible that in relation to the revision to the High Court, no such power of condonation of delay per Section 5 of Limitation Act was required to spelt out, it being the obvious, and of course, if the legislative intent was to curtail such power either express provisions would have been there or other provisions would have indicated so. ***The other provisions only indicate that***

लगातार.....6



so far first and second appeals are concerned, the authorities have unlimited power to condon delay. " इसी प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा प्रोद्धारित निर्णय में निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है "In the considered opinion of this Court, there is nothing in the Act of 1994 to indicate that the applicability of Section 5 of the Limitation Act is excluded for the purpose of its Section 86 and 85 of the Act 1994 does not necessarily imply any such exclusion.....The revision petition is barred by limitation by 2 days and in the overall circumstances of the case, it appears appropriate to condone the delay in filling the revision petition. Delay is condoned." उल्लेखनीय है कि विक्रय कर अधिनियम, 1994 व अधिनियम के प्रावधान समान होने के कारण कर बोर्ड को अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के जरिये प्रदान की गयी अधिकारिता व ऊपर प्रोद्धारित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, विभाग द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुति में हुयी देरी के संबंध में लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित कारण व तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत कौंस आब्जेक्शन अस्वीकार किये जाते हैं।

विद्वान अभिभाषक व्यवहारी द्वारा अपील संख्या 1671/2013/पाली के संबंध में दिये गये तर्कों के संबंध में रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी आपत्ति कि प्रकरण को संबंधित उपायुक्त के बिना किसी आदेश के प्रकरण को जांच अधिकारी से सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया, के संबंध में रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि रिकॉर्ड पत्रावली पर ऐसा कोई पत्र/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसमें जांच अधिकारी से पत्रावली निर्णय/अग्रिम कार्यवाही हेतु किसी अन्य अधिकारी को स्थानान्तरित किए जाने हेतु उपायुक्त (प्रशासन) पाली को प्रार्थना की गयी है, परन्तु अपील पत्रावली पर उपायुक्त (प्रशासन) पाली द्वारा दिनांक 14.11.2011 को अधिनियम 2003 की धारा 37(4)के तहत प्राप्त शक्तियों के तहत वाद पत्रावली स.वा.क.अ.घट प्रथम, वृत्त ए/ई पाली द्वारा पत्र क्रमांक 871 दिनांक 3.11.2011 लिखा जाना अंकित किया हुआ है। उक्त आदेश से यह प्रमाणित है कि दिनांक 02.11.2011 को बिना किसी आदेश के पत्रावली का स्थानान्तरण स.वा.क.अ. घट प्रथम, वृत्त ए/ई, पाली से स.वा.क.अ.घट द्वितीय वृत्त ए/ई, पाली को किया गया है। इस संबंध में व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा अभियोग की सम्पूर्ण कार्यवाही पर जो आपत्ति उठायी गयी है, उस संबंध में पत्रावली के आदेश पत्र एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोग के निस्तारण हेतु विधिक



व अपील संख्या 1671/2013/पाली

प्रक्रिया अपनायी नहीं गयी है क्योंकि पत्रावली स.वा.क.अ.घट प्रथम, वृत्त ए/ई पाली द्वारा पत्र क्रमांक 871 दिनांक 3.11.2011 लिखा जाना अंकित किया हुआ है जबकि आदेश दिनांक 02.11.2011 को पारित किया गया है, जो प्रकरण के निस्तारण हेतु अनुचित प्रक्रिया का अपनाया जाना प्रमाणित करता है। अतः उक्त बिन्दु पर व्यवहारी द्वारा उठायी गयी आपत्ति स्वीकार कर, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत कॉस आब्जेक्शन क्रमांक 818/2014/पाली स्वीकार किये जाते हैं।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रश्न है, प्रकरण में वाहन की जांच वाहन चालक एवं माल प्रभारी श्री घीसाजी की उपस्थिति में की गयी, परन्तु बिना किसी आधार पर श्री फारुख भाई नामक व्यक्ति को माल प्रभारी/वाहन चालक मानते हुये अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध आदेश पारित किया गया है। शास्ति आदेश में श्री फारुख मानते हुए उनके विरुद्ध आदेश पारित यिा गया है। शास्ति आदेश में श्री फारुख भाई को माल मालिक मानते हुये, उक्त के द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति से आदेश पारित किया गया है, परन्तु एक प्रार्थना पत्र जो नोटिस के जवाब के रूप में लिखा गया है वह रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ संख्या 7 पर उपलब्ध है जिसमें श्री फारुख भाई का केवल नाम अंकित है परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र हस्ताक्षर विहीन है। उक्त पत्र में श्री फारुख भाई माल का बिल नहीं होना प्रकट कर, स्वयं गलती स्वीकार कर, प्रकट किया गया है, जबकि आदेश पत्र में यह अंकित किया गया है कि माल का बिल आबूरोड की फर्म मैसर्स मेमन स्केप ट्रेडर्स द्वारा जारी होने के कारण माल पर कर की वसूली किया जाना न्यायोचित नहीं है, इसी प्रकार आदेश में माल की कीमत बिल से भिन्न मानते हुए 30 प्रतिशत से शास्ति आरोपित की गयी है परन्तु कर वसूल नहीं किया गया है एवं आदेश पत्र में बिल का अस्तित्व माना गया है, जो विरोधाभासी है। इसी प्रकार प्रकरण में श्री फारुख भाई को माल मालिक माना गया है, अतः ऐसी स्थिति में, कर की कोई सुनिश्चितता नहीं की गयी है। उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण कार्यवाही आबूरोड में किया जाना प्रकट किया गया है जबकि आबूरोड विक्रेता व्यवहारी की कोई जांच नहीं की गयी है जो संभव थी एवं पता किया जा सकता था कि मै. मेमन स्केप ट्रेडर्स द्वारा जारी बिल मिथ्या है अथवा नहीं ? इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, प्रतिकरापंचन, पाली (जिसे आगे "जांच अधिकारी-द्वितीय" कहा जायेगा) द्वारा

लगातार.....8



-8- अपील संख्या 345/2014, कॉस आब्जेक्शन क्रमांक 818/2014/पाली,

व अपील संख्या 1671/2013/पाली

जांच की गयी है, जिसमें जांच अधिकारी-द्वितीय द्वारा की गयी जांच में यह स्पष्ट अंकित है कि

“मैसर्स मेमन स्केप ट्रेडर्स, आबूरोड फर्म का प्रोपराईटर श्री फारूख भाई ही है और माल मालिक होने के नाते वाहन मय माल छुड़वाने की कार्यवाही फारूख भाई द्वारा की गयी ।


व्यवहारी द्वारा जारी बिल क्रमांक 06 दिनांक 01.11.2011 की जांच पर व्यवहारी द्वारा उक्त बिल का जमा खर्च किया गया है जो कि वैट-08ए में दर्शाया गया है और माल प्रेषिति फर्म का वैट-7 में माल खरीद होना बताया गया है।

श्री फारूख भाई फर्म मैसर्स मेमन स्केप ट्रेडर्स, आबूरोड में प्रोपराईटर होने से फारूख भाई क विरुद्ध जांच बकाया नहीं रहती है।”

उक्त जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा विधिक दस्तावेजों से माल का परिवहन किया जा रहा था। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से आदेश पारित कर, सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है । अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलीय आदेश की पुष्टि कर, उक्त बिन्दु पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 345/2014/पाली अस्वीकार की जाती है।

परिणामतः, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 345/2014/पाली अस्वीकार, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत कॉस आब्जेक्शन अस्वीकार कर, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1671/2013/स्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

  
26.6.2015  
(मदन लाल)

सदस्य